"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 359] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त 2013—श्रावण 22, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन, दाऊ कल्याण सिंह भवन के समीप, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्रमांक एफ-17/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/958.—दिनांक 8 अगस्त 2013 को नगरपालिका परिषद् चाम्पा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. के 2 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के तिवारी,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-17/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. गोपाल प्रसाद सोनी, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगरपालिका परिषद् चाम्पा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग.

2. मोहन सेन, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगरपालिका परिषद् चाम्पा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग.

आदेश

(छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 8 अगस्त 2013

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जांजगीर-चाम्पा (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 2 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगरपालिका परिषद् चाम्पा के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 6 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 3 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगरपालिका परिषद् चाम्पा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी गोपाल प्रसाद सोनी एवं मोहन सेन द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 26 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा अभ्यर्थी गोपाल प्रसाद सोनी एवं मोहन सेन को दिनांक 20 फरवरी 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई कि विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको 5 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए नगर पंचायत का अध्यक्ष अथवा पार्षद होने के लिए निरर्हित क्यों न किया जाए. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों गोपाल प्रसाद सोनी एवं मोहन सेन को दिनांक 29 अप्रैल 2010 को सम्यक् रूप से तामील की गई. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी गोपाल प्रसाद सोनी को सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा अपना जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. ऐसी स्थिति में यह माना जाकर कि उक्त अभ्यर्थी को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है, उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. अभ्यर्थी मोहन सेन ने दिनांक 3 अप्रैल 2010 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उन्होंने दिनांक 30 जनवरी 2010 को चुनाव हिसाब ब्राउचर ब्यौरा पुस्तक प्रस्तुत कर दिया है. अभ्यावेदन में बाहर जाने तथा कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण हुए विलंब के लिए उन्होंने क्षमा प्रदान करने का निवेदन किया है. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया जिसके सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी ने अपने ज्ञापन दिनांक 1 अप्रैल 2013 द्वारा आयोग को अवगत कराया कि अभ्यर्थी ने अपने अभ्यावेदन में स्वयं निर्वाचन व्यय लेखा 30 जनवरी 2010 को विलंब से प्रस्तुत करना स्वीकार किया है. अभ्यर्थी मोहन सेन को उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाकर उन्हें दिनांक 28 जून 2013 को आयोग कार्यालय में आहूत किया गया, परन्तु आयोग का सूचना पत्र दिनांक 12 जून 2013 अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से तामील होने के उपरान्त भी वह निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहा. अत: यह मानते हुए कि अभ्यर्थी को अपने पक्ष समर्थन में और कुछ नहीं कहना है, उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

5. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी गोपाल प्रसाद सोनी ने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है एवं अभ्यर्थी मोहन सेन की स्वीकारोक्ति कि उसके द्वारा विलंब से दिनांक 30 जनवरी 2013 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है. निर्वाचन अधिकारी के अभिमत के अनुसार भी यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :—

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. चूंकि 26 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश का दिन था, अत: उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था यद्यपि निर्वाचन अधिकारी ने इसे अपने प्रतिवेदन में दिनांक 26 जनवरी 2010 उल्लेखित किया है.

6. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपालिका परिषद् चाम्पा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी गोपाल प्रसाद सोनी ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में आयोग को अपना कोई जवाब प्रस्तुत किया. अभ्यर्थी मोहन सेन ने यद्यपि अपने अभ्यावेदन दिनांक 3 अप्रैल 2010 में निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 30 जनवरी 2010 को विलंब से प्रस्तुत करने का उल्लेख किया है तथापि वह प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर दिये जाने पर निर्धारित तिथि को सूचना उपरान्त भी अनुपस्थित रहे. अभ्यर्थी मोहन सेन ने अपने जवाब में दिनांक 30 जनवरी 2010 को विलंब से चुनाव हिसाब ब्राउचर ब्यौरा पुस्तक प्रस्तुत करना स्वीकार किया है. विलंब का कारण उन्होंने बाहर जाने तथा कुछ स्वास्थ्य खराब होना दर्शाते हुए क्षमा प्रदान करने का निवेदन किया है. इससे स्पष्ट है कि अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया है. अभ्यर्थी ने अपने जवाब के साथ स्वास्थ्य खराब होने संबंधी बात की पुष्टि में चिकित्सा प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई अभिलेख आदि प्रस्तुत नहीं किया है. अत: अभ्यर्थी के पास विलंब से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण होना नहीं माना जा सकता. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण गोपाल प्रसाद सोनी एवं मोहन सेन प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. अधिनियम की धारा 32-ग में बिना अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्यता रहित असफलता के लिए आदेश की तारीख से 5 वर्ष से अनाधिक कालावधि के लिए निरर्हित करने का प्रावधान है. लेकिन विद्यमान परिस्थिति में दो वर्ष एवं छ: माह की कालावधि हेतु निरर्हित करना न्याय के हित में उचित प्रतीत होता है. तद्नुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों गोपाल प्रसाद सोनी एवं मोहन सेन को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से दो वर्ष एवं छ: माह की कालावधि के लिये नगरपालिका परिषद् का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

7. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 8 अगस्त 2013 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.